लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS.

प्रकरण संख्या : 01/ 2024
GCMS NO. : 2024/1

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री मावजी पाटीदार पिता अमरजी पाटीदार निवासी पाराहेडा, पटवार मण्डल पाराहेडा, तहसील गढी जिला बांसवाडा	बनाम	तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गढी

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 18–01–2024

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 05–10–2023 पर तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गढी द्वारा नियामनुसार समयावधि में सूचना उपलब्ध नही कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 03–01–2024 को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 18–01–2024 को अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। प्रत्यर्थी ने क्रमांक 424 दिनांक 15–01–2024 से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि पत्रांक 423 दिनांक 12–01–.2024 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गई है। प्राप्ति रसीद संलग्न की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.02.02 10:47:58 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गढी** की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गढी** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 05–10–2023 से यह सूचना चाही कि " खसरा गिरदावरी खसरा पुराना 2218/1432, 2218/1532 नया खसरा 3556 रकबा 12 बिस्वा वाके पाराहेडा पटवार मण्डल पाराहेडा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) की संवत् 2010 से 2030 तक की प्रमाणित नकल उपलब्ध करावे"

तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गढी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार उनके पत्रांक **423** दिनांक **12–01–2024** से अपीलार्थी को तहसील कार्यालय गढी में उपलब्ध पुरातन खसरा गिरदावरी संवत् 1996 से 2011 तक की प्रमाणित प्रति, तुलनात्मक नबर एवं सेटलमेंट नकल रजिस्टर क्रमांक 316 से जारी कर सूचना उपलब्ध करवाई है।

अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **05–10–2023** पर **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गढी** ने अपीलार्थी को दिनांक 12–01–2024 को सूचना उपलब्ध करवाई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के 7 के तहत "राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासम्भव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणो में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा:"। किन्तु लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढी ने दिनांक 12–01–2024 को लगभग 2 माह [illegible] प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई। जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.02.02 10:47:58 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अत्यंत खेदजनक है। तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गढी को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इसका विशेष ध्यान रखा जावे।

रेस्पोडेंट **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गढी** के जवाब का अवलोकन करने पर पाया कि रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थी को पुरातन खसरा गिरदावरी संवत् 1996 से 2011 तक, तुलनात्मकर नबर एव सेटलमेंट नकल रजिस्टर क्रमांक 316 से सूचना उपलब्ध करवाई है। जबकि प्रार्थी द्वारा खसरा गिरदावरी खसरा पुराना 2218/1432, 2218/1532 नया खसरा 3556 रकबा 12 बिस्वा वाके पाराहेडा पटवार मण्डल पाराहेडा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) की संवत् 2010 से 2030 तक की सूचना चाही है। इस प्रकार रेस्पोडेंट **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गढी** ने प्रार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना में से संवत् 2010 व 2011 गिरदावरी खसरा की सूचना उपलब्ध करवाई है, संवत् 2012 से 2030 तक की सूचना उपलब्ध नही करवाई है। इसके अतिरिक्त जो सूचना उपलब्ध भी करवाई गई है वह अपीलांट द्वारा नही चाही गई है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी)** गढी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित संवत् 2012 से 2030 तक की गिरदावरी खसरा पुराना 2218/1432, 2218/1532 नया खसरा 3556 रकबा 12 बिस्वा ग्राम पाराहेडा, पटवार मण्डल पाराहेडा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) की सूचना अन्तर्गत धारा 7(6) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **18–01–2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.02.02 10:47:58 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner